1819
9.5.13

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग,
(पंचायती राज)

क्रमांक: एफ.951(19).(41) प्रावि/लेखा/नि0आ0/बजट घोषणा/2012-13/2494 जयपुर, दिनांक 01-04-2013

-: अधिसूचना :-

राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 27 से 30 के अनुसार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक:- एफ 951(19) (41) प्रावि/लेखा/नि0आ0/बजट घोषणा/09-10/7387 दि. 22.10.09 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को देय मानदेय एवं बैठक भत्तों की दरों में बजट भाषण में घोषणानुसार, निम्नानुसार आंशिक संशोधन तत्काल प्रभाव से किया जाता है:-

मानदेय की दरें :-

जन प्रतिनिधि का पद नाम	वर्तमान में देय मानदेय दर रू. प्रतिमाह	संशोधित मानदेय दर रू. प्रतिमाह
1.	2.	3.
जिला प्रमुख, जिला परिषद	7500/-	9000/-
प्रधान, पंचायत समिति	5000/-	6000/-
सरपंच, ग्राम पंचायत	3000/-	3500/-

बैठक भत्ता की दरें :-

जन प्रतिनिधि का पद नाम	वर्तमान में देय राशि रू.	संशोधित बैठक भत्ता की दर रू. प्रतिमाह
1.	2.	3.
सदस्य, जिला परिषद	125/-	500/-
सदस्य, पंचायत समिति	100/-	350/-
सदस्य, ग्राम पंचायत	75/-	200/-

उक्त भत्ता संबंधित प्रतिनिधि द्वारा माह में बैठक आयोजित होने पर ही तथा माह हेतु निर्धारित बैठकों में उपस्थित होने पर ही देय होगा।

यह [illegible] (व्यय-5) विभाग की आई.डी.संख्या 331300289 दि. 25.03.2013 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जा रही है।

राज्यपाल की आज्ञा से

(अपर्णा अरोरा)
शासन सचिव

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांकः– एफ. 951(19) ( )पराविं/लेखा/नि.आ./जिला परिषद/सुविधा/ 7204 जयपुर, दिनांकः 11/10/2017

—:अधिसूचनाः—

राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 27 से 30 के अनुसार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांकः--एफ 951 (19) (41) पराविं/लेखा/नि.आ./बजट घोषणा/2012–13/2494 दिनांक 01.04.2013 द्वारा जारी पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को देय मानदेय की दरों में निम्नानुसार संशोधन तत्काल प्रभाव से किया जाता हैः–

मानदेय की दरेंः–

जन प्रतिनिधि का पद नाम	वर्तमान में देय मानदेय दर रू. प्रतिमाह	संशोधित मानदेय दर रू. प्रतिमाह
1.	2.	3.
जिला प्रमुख, जिला परिषद	9000/–	10000/–
प्रधान, पंचायत समिति	6000/–	7000/–
सरपंच, ग्राम पंचायत	3500/–	4000/–

जिला प्रमुख, प्रधान एवं सरपंच को मानदेय राशि का भुगतान राज्य वित्त आयोग के तहत मिलने वाली राशि से किया जावेगा।

यह अधिसूचना वित्त (व्यय–5) विभाग की आई.डी. संख्या 101702662 दिनांक 01.06.2017 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जा रही है।

राज्यपाल की आज्ञा से

(नवीन महाजन)
शासन सचिव एवं आयुक्त

15

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांकः–एफ.951 (19) (41)परावि/लेखा/नि. आ./बजट घोषणा/2022 –23/623 दिनांकः– 7/4/2022

:–अधिसूचनाः–

राजस्थान पंचायतीराज राज नियम 1996 के नियम 27 से 30 के अनुसार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व मे जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.951(19)( )परावि/लेखा/नि.आ./जिला परिषद/सुविधा/7204 दिनांक 11.10.2017 द्वारा जारी पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को देय मानदेय एवं पूर्व मे जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.951(19)( )परावि/लेखा/नि.आ./बजट घोषणा/2012–13/2494 दिनांक 01.04.2013 द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को देय बैठक भत्तों की दरों में माननीय मुख्यमंत्री की बजट घोषणा वर्ष 2022–23 के अनुसार निम्न संशोधन किया जाता है।

मानदेय की दरें:–

जन प्रतिनिधि का पद नाम	वर्तमान में देय मानदेय दर रू. प्रतिमाह	संशोधित मानदेय दर रू.प्रतिमाह
1.	2.	3.
जिला प्रमुख, जिला परिषद	10,000/–	12,000/–
प्रधान, पंचायत समिति	7000/–	8400/–
सरपंच, ग्राम पंचायत	4000/–	4800/–

बैठक भत्तों की दरें:–

जन प्रतिनिधि का पद नाम	वर्तमान में देय राशि	संशोधित बैठक भत्ता की दर रू.
1.	2.	3.
सदस्य,जिला परिषद	500/–	600/–
सदस्य, पंचायत समिति	350/–	420/–
सदस्य, ग्राम पंचायत	200/–	240/–

जनप्रतिनिधियों को देय मानदेय एवं बैठक भत्तों का भुगतान राज्य वित्त आयोग के तहत मिलने वाली अनुदान राशि से किया जाएगा।

यह अधिसूचना वित्त (व्यय–5) विभाग की आई.डी. संख्या 332200190 दिनांक 23.03.2022 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जा रही है।

यह आदेश दिनांक 01.04.2022 से लागू होगा।

राज्यपाल के आदेश से

(पी.सी.किशन)
शासन सचिव

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक –एफ.951 (19) (41)पराति/लेखा/नि.आ./बजट घोषणा/2022–23/210 दिनांक – 21-02-2023

:–अधिसूचना–

राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 27 से 30 के अनुसार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.951(19)(41)पराति/लेखा/नि.आ./बजट घोषणा/2022/623 दिनांक 07.04.2022 द्वारा जारी पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित सदस्य/जनप्रतिनिधियों को मानदेय एवं बैठक भत्तों की दरों में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा दि. 10.02.2023 की बजट घोषणा के बिन्दु सं. 162 की क्रम में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है।

मानदेय की दरें–

जन प्रतिनिधि का पद नाम	वर्तमान में देय मानदेय दर रु. प्रतिमाह	संशोधित मानदेय दर रु.प्रतिमाह
1	2	3
जिला प्रमुख, जिला परिषद	12,000/–	13800/–
प्रधान, पंचायत समिति	8400/–	9660/–
सरपंच, ग्राम पंचायत	4800/–	5520

बैठक भत्तों की दरें–

जन प्रतिनिधि का पद नाम	वर्तमान में देय राशि दर रु.	संशोधित बैठक भत्ता की दर रु.
1.	2.	3.
सदस्य,जिला परिषद	600/–	690/–
सदस्य, पंचायत समिति	420/–	483/–
सदस्य, ग्राम पंचायत	240/–	276/–

जनप्रतिनिधियों को देय मानदेय एवं बैठक भत्ता का भुगतान राज्य वित्त आयोग के तहत मिलने वाली अनुदान राशि से किया जाएगा।

यह अधिसूचना वित्त (व्यय–5) विभाग की आई.डी. संख्या 332300155 दिनांक 17.02.2023 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जा रही है।

यह आदेश दिनांक 01.04.2023 से लागू होगा।

राज्यपाल के आदेश से

(अभय कुमार)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

क्रमांक–एफ.951 (19) (41)पराति/लेखा/नि.आ./बजट घोषणा/2022–23/210 दिनांक– 21-02-23

प्रतिलिपि– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।